Witness No…**....................01..**,for–**.............अभियोजन.................** ,

Deposition taken on the **.23.07.2024....,**day of - witness's apparent age **–.....28......** **वर्ष**

States affirmation on oath.**.....शपथपूर्वक.**... my name is **–...........श्री ओम शंकर.............**

D/W/S of – **..............श्री संतराम.................**occupation **.....................मजदूरी......................**

Address – **.......अंबेडकर चौक गुरूर, थाना गुरूर, जिला बालोद छ0ग0........................**

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 03:00 बजे।

01. न्यायालय उपस्थित आरोपी गणेश राम सिन्हा को मै नहीं जानता हूं। आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मै थाना गुरूर में चाय छोड़ने के लिए गया था तभी वहीं पर पुलिस वाले यह बोलकर कि कुछ नहीं होगा, कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कर दो। तब मैने उनके कहने पर कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर किया था। मेरे समक्ष आरोपी के विरूद्ध पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किया था। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

02. साक्षी को धारा 160 की नोटिस प्रपी 01, मुखबिर पंचनामा प्रपी 02, तलाशी वारण्ट प्राप्त न होने बाबत् पंचनामा प्रपी 03, व्यक्ति/समान की तलाशी हेतु नोटिस प्रपी 04, तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह प्रपी 05, व्यक्ति/समान की तलाशी प्रपी 06, तलाशी बरामदगी पंचनामा प्रपी 07, समान पहचान पंचनामा प्रपी 08, जप्ती पत्रक प्रपी 09, समान नमूनासील पंचनामा प्रपी 10, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 11, घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रपी 12 के क्रमशः अ से अ भाग पर अंकित हस्ताक्षर दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

03. पुलिस वाले मुझे साक्षी बनने हेतु नोटिस नहीं दिया था और न ही आरोपी को मेरे समक्ष पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। पुलिस वालों ने मेरे समक्ष आरोपी से मदिरा जप्त नहीं किया था और न ही मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किए थे। घटना के संबंध में पुलिस वाले पूछताछ कर मेरा बयान नहीं लिए थे।

टीप— इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने हेतु अनुमति चाही गई। विचार उपरांत अनुमति प्रदान की गई।

04 साक्षी को पुलिस बयान प्रपी 13 के अ से अ भाग ''दिनांक 23.11.2022...............यही मेरा कथन है'' का कथन साक्षी को पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया।

05. यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मुझे प्रकरण में साक्षी बनने हेतु धारा 160 दप्रस की नोटिस देकर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मेरे समक्ष मुखबिर सूचना पंचनामा, तलाशी वारण्ट प्राप्त न होने बाबत पंचनामा, व्यक्ति/समान/मकान की तलाशी हेतु नोटिस तथा तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह की कार्यवाही कर पुलिस ने तैयार किया था।

06. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष पुलिस वालों ने आरोपी गणेश राम सिन्हा के कब्जे में रखे एक सफेद प्लास्टिक की बोरी की तलाशी लेकर बोरी के अंदर रखा 50 पाव देशी प्लेन शराब, प्रत्येक में 180 एमएल. को सीलबंद हालत में बरामद किया था।

07. यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष समान पहचान पंचनामा की कार्यवाही कर तैयार किया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 23.11.2022 को मेरे समक्ष आरोपी गणेश राम सिन्हा के पेश करने पर एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में रखा 50 पाव देशी प्लेन शराब, प्रत्येक में 180 एमएल. कुल जुमला 9.00 बल्क लीटर, कीमती 4,000/—रू0 को पुलिस ने जप्त कर, 50 पौवा देशी प्लेन शराब में से 5 पाव देशी प्लेन शराब को निकालकर मदिरा परीक्षण कराने अलग सफेद प्लास्टिक बोरी में सीलबंद किया गया तथा 45 पाव देशी प्लेन शराब को अलग सफेद प्लास्टिक बोरी में सीलबंद किया था।

08. यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष समान नमूनासील पंचनामा की कार्यवाही कर तैयार किया। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मेरे समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष घ टना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था।

09 मै कक्षा 8 वी तक पढ़ा हूं। यह कहना सही है कि किसी भी दस्तावेज में

हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे पढ़कर समझकर हस्ताक्षर करना चाहिए। यह कहना गलत है कि आरोपी को बचाने के लिए मै न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधि0 श्री भूखन साहू वास्ते आरोपी//

08. यह कहना सही है कि मेरे समक्ष पुलिस वाले कोई कार्यवाही नहीं किए थे। यह कहना सही है कि मैने सभी हस्ताक्षर एक ही जगह एक ही समय में थाना गुरूर में किया था। यह कहना सही है कि पुलिस वाले उक्त कागजात में क्या लिखा था मुझे पढ़कर नहीं सुनाए थे और न ही मुझे पढ़ने दिए थे। यह कहना सही है कि पुलिस वाले आरोपी से मेरे समक्ष कोई मदिरा जप्त नहीं किए थे।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 03:30 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया।	गवाह का हस्ताक्षर	मेरे निर्देशन में टंकित
सही/– **(संजय कुमार सोनी)** **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** **जिला–बालोद छ.ग.**		**सही/–** **(संजय कुमार सोनी)** **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** **जिला–बालोद छ.ग.**